सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 158/14 **निर्णय दिनांक–13.07.2018**

1. सीताराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी रोझां तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. मालाराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी रोझां तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
3. सुभाषचन्द पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी रोझां तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
4. दीनदयाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी रोझां तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
5. केसरदेवी बेवाह ख्यालीराम जाति जाट निवासी रोझां तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. भंवरलाल पुत्र लेखराम जाति बिश्नोई निवासी फूलदेसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. रिछपाल पुत्र लेखराम जाति बिश्नोई निवासी फूलदेसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
3. रामकुमार पुत्र लेखराम जाति बिश्नोई निवासी फूलदेसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
4. बीरबल पुत्र लेखराम जाति बिश्नोई निवासी फूलदेसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व लूणकरनसर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर
दिनांक 27–05–2013

उपस्थितः–

1. श्री श्यामदीन पड़िहार, अभिभाषक अपीलांटस्
2. श्री महेश सुथार, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कॉसनिया राजकीय, अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर के आदेश दिनांक 27—05—2013 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उसकी कृषि भूमि चक 16 सीएचडी के मुरब्बा नम्बर 209/40 के किला नम्बर 6 में से रास्ता स्वीकृत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रार्थना पत्र पर अदालत मातहत ने दिनांक 27—05—2013 को रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया और किला नम्बर 5 में खाला की भूमि से दक्षिण में व किला नम्बर 4 की पूर्वी साईड में 02—02 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया व इसके बदले में डीएलसी दर से दुगनी राशि से भुगतान के आदेश प्रदान किये गये।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील बिना रिपोर्ट मंगवाये रिकार्ड एवं तथ्यों के विपरीत जाते हुए अपीलांट के विरूद्व पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि वह अपीलार्थी की भूमि में से अपने खेत में आता—जाता है और मौके पर रास्ता काफी समय से चल रहा है। जबकि वास्तव में ना तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कभी अपीलार्थी के खेत में से आता जाता रहा है ना ही मौके पर ऐसा कोई मार्ग आवागमन हेतु वर्तमान में उपलब्ध है। उक्त तथ्या अपीलार्थी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष अपने जवाब प्रार्थना में भी अंकित किये गये थे परन्तु अदालत मातहत ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं देकर अपीलार्थी के विरूद्व निर्णय किया है। जो रिकार्ड व मौके की स्थिति के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 ए के तहत वो ही खातेदार रास्ते की मांग कर सकता है जिसके खेत में जाने के लिए कोई रास्ता पूर्व में उपलब्ध नहीं है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है वह अपीलार्थी के खेत में से आता—जाता है। जहॉ तक रास्ते के प्रकरण का प्रश्न है अदालत मातहत को चाहिए था कि वे वादगत् भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट तहसीलदार या हल्का पटवारी से मंगवाई जानी अपरिहार्य है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसी कोई मौका रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई। इससे स्पष्ट जाहिर है कि अधिनस्थ न्यायालय ने ना तो कोई मौका निरीक्षण किया ना ही मौके की कोई रिपोर्ट मंगवाई गई। केवल मात्र कागजी कार्यवाही करते हुए उसके आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा उक्त समस्त तथ्या अदालत मातहत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे लेकिन अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

चूंकि रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है व वास्तव में इस रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब अपीलांट को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए अपीलांट के मुरब्बे में से रास्ता स्वीकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में रास्ता कायम है तो नया रास्ता कायम करने के आदेश 251ए आरटीए के तहत पारित नहीं किये जा सकते। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के पैरा ाा में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि जब अन्य खातेदार के खेत में से होकर रास्ता चाहा गया है तो अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। वास्तव में मौके पर नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील दुराभि संधि से प्राप्त किया गया आदेश है जो निरस्त किया जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के नाम चक 16 सीएचडी के मुरब्बा नम्बर 209/40 के किला नम्बर 7 ता 12 में 6 बीघा तथा किला नम्बर 20 में 1 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 209/32 के लि‍ा नम्बर 16 ता 17 में 2 बीघा इस प्रकार कुल 09 बीघा कमाण्ड भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है।

प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को अपने खेत में आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण अपीलांट/अप्रार्थी के मुरब्बा नम्बर 209/40 के किला नम्बर 6 में से रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश प्रदान करावे। जिसके बदले में नियमानुसार डीएलसी दर से दुगनी राशि का भुगतान करने हेतु प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सहमत है। उक्त प्रार्थना पत्र पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मौके की रिपोर्ट प्राप्त की गई।

उक्त निरीक्षण में पाया गया कि प्रार्थी को अपने खेत मुरब्बा नम्बर 209/40 के किला नम्बर 7 ता 12 में 6 बीघा तथा किला नम्बर 20 में 1 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 209/32 के लि‍ा नम्बर 16 ता 17 में 2 बीघा इस प्रकार कुल 09 बीघा कमाण्ड भूमि में आने जाने के लिए अन्य कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है। इस संबंध में संबधित तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से मौके की जॉच करवाई गई तथा पाया गया कि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है। अदालत मातहत द्वारा उक्त रिपोर्ट के अनुसरण में ही कटानी रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है। अदालत मातहत ने अपीलाधीन आदेश के माध्यम से जो रास्ता स्वीकृत किया गया है उक्त रास्ते से किसी को नुकसान नहीं होना है क्योंकि अदालत मातहत द्वारा स्वीकृत रास्ता खेत की सींव सींव पर है।

इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार मौके का निरीक्षण करवाने के उपरान्त मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता(absolute nessecity & convinient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा चक 16 सीएचडी के मुरब्बा नम्बर 209/40 के किला नम्बर 5 में खाला की भूमि से दक्षिण में व किला नम्बर 4 की पूर्वी साईड में 02—02 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) हमने अपीलाधीन आदेश व वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत नजरी नक्शे का अवलोकन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम यह कथन उल्लेखनीय है कि धारा 251 ए के तहत रास्ते के प्रावधानों के अनुसरण में वादगत् भूमि की मौका रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त तहसीलदार द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अनुसार रास्ता स्वीकृत करने को उचित मानते हुए नियमानुसार कटानी रास्ता के आदेश हेतु अपनी रिपोर्ट प्रेषित की गई है।

(3) प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी को अपने खेत मुरब्बा नम्बर 209/40 के किला नम्बर के किला नम्बर 7 ता 12 में 6 बीघा तथा किला नम्बर 20 में 1 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 209/32 के किला नम्बर 16 ता 17 में 2 बीघा इस प्रकार कुल 09 में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत अन्य वकैल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में नया रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है।

(4) धारा 251 ए के तहत मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute nessecity) को ध्यान में रखते हुए रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किये जाने होते है। रास्ते के प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 69 के तहत उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जॉच के पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त

रास्ता आत्याधिक आवश्यक है या नहीं? तथा यह भी कि उक्त रास्ता अन्य खातेदार (प्रत्यर्थी) की जोत में से होकर (विशेषकर जब आवेदन नये रास्तों के लिए हो) पहुॅचने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है, तब इस प्रकार रास्तों के मामलों में धारा 251 (ए) के अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा **संक्षिप्त जॉच, आत्यांतिक आवश्यकता एवं सुविधा को** जाना महत्वपूर्ण है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के संबंध में स्वयं मौका निरीक्षण करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

(5) हम अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के इस तर्क से सहमत है कि रास्ते के आवेदन में दूर या नजदीक का प्रश्न नहीं है, वरन् यह देखा जाना चाहिए कि क्या वह युक्तियुक्त, तार्किक, आत्यांतिक आवश्यकता व सुखाचार की शर्तो को पूरा करते है या नहीं? रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगत् भूमि के आवागमन हेतु रास्ता पूर्व में अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में आवागमन हेतु पूर्व से ही उपलब्ध होने की स्थिति में धारा 251ए के तहत जिसके अनुसार पूर्व में रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नया रास्ता कायम किया जा सकता। धारा 251ए के तहत (absolute nessecity) के आधार पर स्वीकृत किया जाना होता है।

अदालत मातहत मौके पर आवागमन हेतु पूर्व में अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर चक 16 सीएचडी के मुरब्बा नम्बर 209/40 के किला नम्बर 5 में खाला की भूमि से दक्षिण पूर्व में व किला नम्बर 4 की पूर्वी साईड में 02—02 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है। उक्त रास्ता खेत की सींव—सीवं जारी किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जिससे किसी की जोत खराब होने अथवा खेत के टुकड़ें होने की कोई संभावना नहीं है। अतः अदालत मातहत द्वारा जारी रास्ता धारा 251ए के प्रावधानों के अनुसार होने से युक्तियुक्त, तर्कसंगत व न्यायसंगत आदेश की परिभाषा में आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर का आदेश दिनांक 27—05—2013 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.07.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर